# छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय
# दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांकः स्था.–1/133/2017/.......                                   दुर्ग, दिनांकः .......//04/2017

**//आदेश//**

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के ज्ञाप पत्र क्रमांक एफ 7–1/2012/1–3 दिनांक 14/06/2013 के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देशों एवं मान्नीय कुलपतिजी के अनुमोदन उपरांत स्व. श्री टिकेमल महरा, प्रयोगशाला परिचारक, दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, रायपुर की पुत्री कु. सोमा गरूड़ को अनुकम्पा के आधार पर **भृत्य (वेतनमान रू. 4750–7440 + ग्रेड वेतन 1300/–)** के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया जाकर वेटनरी पॉलीटेक्नीक, महासमुंद में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है ।

<u>नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार है :–</u>

01. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर समस्त प्रमाण–पत्रों (शैक्षणिक योग्यता, जाति, जाति सत्यापन, मूल निवासी एवं शैक्षणिक प्रमाण–पत्र) के साथ कर्तव्य पर उपस्थित होना होगा। अन्यथा आदेश निरस्त माना जावेगा।

02. उभयपक्षों द्वारा किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती है, सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन–भत्ता भुगतान/जमा करना होगा।

03. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थिति के समय जिला सिविल सर्जन अथवा मेडिकल ऑफिसर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र में शारीरिक रूप से अयोग्य पाये जाने तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी नियमों के उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित की सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

04. अभ्यर्थी की पुलिस अधीक्षक कार्यालय से 6 माह के भीतर चरित्र सत्यापन कराया जावेगा। चरित्र सत्यापन में पुलिस विभाग द्वारा संबंधित के विरूद्ध कोई प्रतिकूल टीप पाई जाती है तो नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।

05. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा अन्य कोई भी प्रमाण–पत्र यदि भविष्य में असत्य पाया जाता है, तो नियुक्ति आदेश बिना कारण बताये निरस्त कर दिया जावेगा।

06. नियुक्त कर्मचारी को नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

07. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी।

08. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिये किसी प्रकार की यात्रा–भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

क्रमशः 2....

09. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने की तिथि से एक माह के भीतर निश्चित चिकित्सा भत्ता/प्रतिपूर्ति चिकित्सा भत्ता हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

10. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के अधीन संचालित किसी भी महाविद्यालय/केन्द्र/ईकाई में स्थानांतरित किया जा सकता है।

11. छ.ग. कामधेनु विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी नियम प्रभावशील होंगे।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांकः स्था.–1/133/2017/ 238 दुर्ग, दिनांक 21 /04/2017

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. माननीय कुलपतिजी के निज सहायक, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग ।
2. अधिष्ठाता, दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महा., रायपुर को उनके प्रस्ताव क्र./दु.वि.खा.प्रौ.महा./स्था./47/2017/4212 दि. 06/03/2017 के संदर्भ में ।
3. वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग ।
4. प्रभारी अधिकारी, वेटनरी पॉलीटेक्नीक, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग ।
5. प्राचार्य, वेटनरी पॉलीटेक्नीक, महासमुंद ।
6. प्रभारी अधिकारी, आई.सी.टी. सेल, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग को विश्वविद्यालय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु ।
7. संबंधित : कु.सोमा गरूड़ (महरा), पिता– स्व. श्री टिकेमल महरा, माना कैम्प, 21 ब्लाक, नहर पार, रायपुर (छ.ग.) ।
8. निजी नस्ती/मास्टर नस्ती ।

कुलसचिव